दै. भास्कर - दिनांक 13/5/2023

कार्यालय नगर पालिक निगम, जबलपुर

क्रमांक-अधी.यंत्री/का.सेल/2023-24/167/पी.आर.ओ.-93 **सार्वजनिक सूचना** दिनांक, 12.05.2023

(म.प्र. नगर पालिका (कालोनी विकास) नियम 2021 के नियम 23(7) के अंतर्गत)

नगर पालिक निगम जबलपुर के सीमा क्षेत्र में विद्यमान अनाधिकृत कालोनियों में नागरिक अधोसंरचना प्रदान किये जाने के उद्देश्य से निम्न कालोनियों में मध्यप्रदेश नगर पालिका (कालोनी विकास) नियम 2021 के नियम 23 (2) के तहत प्रारंभिक सार्वजनिक सूचना निम्न वर्णित कालोनियों के सामने के कॉलम में दर्शाये गये समाचार पत्रों में दर्शित तिथि को प्रकाशित कराई गई थी। प्रकाशित सूचना में निर्दिष्ट अवधि में किसी भी आपत्ति/सुझाव इस कार्यालय में प्राप्त नहीं हुए है :-

क्रमांक	मौजा/ग्राम	खसरा नं.	विकास शुल्क की राशि	प्रारंभिक सार्वजनिक सूचना प्रकाशन दिनांक
1.	गोहलपुर	207, 208, 209, 210 रकबा 13435 वर्गमीटर	38/ रूपये प्रति वर्ग फुट प्लाट	पत्रिका, नई दुनिया, हिन्दी एक्सप्रेस दिनांक 22.04.2023
2.	गोहलपुर	182, 176/3, 182/2 कुल रकबा 10148 वर्गमीटर	38/- रूपये प्रति वर्गफुट प्लाट क्षेत्रफल पर	दैनिक भास्कर, पीपुल्स समाचार, अग्निबाण दिनांक 22.04.2023
3.	पुरवा	170, 171 रकबा 12901 वर्गमीटर	28/- रूपये प्रति वर्गफुट प्लाट क्षेत्रफल पर	नई दुनिया, नवभारत, हिन्दी एक्सप्रेस दिनांक 27.04.2023
4.	गोहलपुर	164/3 रकबा 35980 वर्गमीटर	38/- रूपये प्रति वर्गफुट प्लाट क्षेत्रफल पर	दैनिक भास्कर, जबलपुर एक्सप्रेस, अग्निबाण दिनांक 27.04.2023
5.	गोहलपुर	267 रकबा 11510.74 वर्गमीटर	42/- रूपये प्रति वर्गफुट प्लाट	दैनिक भास्कर, नवभारत, जयलोक दिनांक 28.04.2023
6.	गोहलपुर	164/4 रकबा 35940 वर्गमीटर	38/- रूपये प्रति वर्गफुट प्लाट क्षेत्रफल पर	दैनिक नई दुनिया, पीपुल्स समाचार प्रदेश टुडे दिनांक 28.04.2023

मध्यप्रदेश नगर पालिका (कालोनी विकास) नियम 2021 के नियम 23 (7) में वर्णित प्रावधानों के तहत उक्त कालोनी के भूखण्ड स्वामी भवन अनुज्ञा, जल संयोजन तथा विद्युत संयोजन के लिये पात्र होंगे।

अपर आयुक्त, नगर निगम, जबलपुर

दै. पत्रिका - दि. 13/5/2023

कार्यालय नगर पालिक निगम, जबलपुर

क्रमांक-अधी.यंत्री/का.सेल/2023-24/167/PRO-93 **सार्वजनिक सूचना** दिनांक- 12/05/2023

(म.प्र. नगर पालिका (कालोनी विकास) नियम 2021 के नियम 23 (7) के अन्तर्गत)

नगर पालिक निगम जबलपुर के सीमा क्षेत्र में विद्यमान अनाधिकृत कालोनियों में नागरिक अधोसंरचना प्रदान किये जाने के उद्देश्य से निम्न कालोनियों में मध्यप्रदेश नगर पालिका (कालोनी विकास) नियम 2021 के नियम 23 (2) के तहत प्रारंभिक सार्वजनिक सूचना निम्न वर्णित कालोनियों के सामने के कॉलम में दर्शाये गये समाचार पत्रों में दर्शित तिथि को प्रकाशित कराई गई थी। प्रकाशित सूचना में निर्दिष्ट अवधि में किसी भी आपत्ति/सुझाव इस कार्यालय में प्राप्त नहीं हुए हैं।

क्रमांक	मौजा/ग्राम	खसरा नं.	विकास शुल्क की राशि	प्रारंभिक सार्वजनिक सूचना प्रकाशन दिनांक
1	गोहलपुर	207, 208, 209, 210 रकबा 13435 वर्गमीटर	38/- रुपये प्रति वर्गफुट प्लाट	पत्रिका, नई दुनिया, हिन्दी एक्सप्रेस दिनांक 22.04.2023
2	गोहलपुर	182, 176/3, 182/2 रकबा 10148 वर्गमीटर	38/- रुपये प्रति वर्गफुट प्लाट क्षेत्रफल पर	दैनिक भास्कर, पीपुल्स समाचार, अग्निबाण दिनांक 22.04.2023
3	पुरवा	170, 171 रकबा 12901 वर्गमीटर	28/- रुपये प्रति वर्गफुट प्लाट क्षेत्रफल पर	नई दुनिया, नवभारत, हिन्दी एक्सप्रेस दिनांक 27.04.2023
4	गोहलपुर	164/3 रकबा 35980 वर्गमीटर	38/- रुपये प्रति वर्गफुट प्लाट क्षेत्रफल पर	दैनिक भास्कर, जबलपुर एक्सप्रेस अग्निबाण दिनांक 27.04.2023
5	गोहलपुर	267 रकबा 11510.74 वर्गमीटर	42/- रुपये प्रति वर्गफुट प्लाट	दैनिक भास्कर, नवभारत, जयलोक दिनांक 28.04.2023
6	गोहलपुर	164/4 रकबा 35940 वर्गमीटर	38/- रुपये प्रति वर्गफुट प्लाट क्षेत्रफल पर	दैनिक नई दुनिया, पीपुल्स समाचार प्रदेश टुडे दिनांक 28.04.2023

मध्यप्रदेश नगर पालिका (कालोनी विकास) नियम 2021 के नियम 23 (7) में वर्णित प्रावधानों के तहत उक्त कालोनी के भूखण्ड स्वामी भवन अनुज्ञा, जल संयोजन तथा विद्युत संयोजन के लिये पात्र होंगे।

अपर आयुक्त, नगर निगम, जबलपुर

अग्निबाण - दि. 13/5/2023

कार्यालय नगर पालिक निगम, जबलपुर

क्रमांक-अधी.यंत्री/का.सेल/2023-24/167/पी.आर.ओ.-93 **सार्वजनिक सूचना** दिनांक, 12.05.2023

(म.प्र. नगर पालिका (कालोनी विकास) नियम 2021 के नियम 23(7) के अंतर्गत)

नगर पालिक निगम जबलपुर के सीमा क्षेत्र में विद्यमान अनाधिकृत कालोनियों में नागरिक अधोसंरचना प्रदान किये जाने के उद्देश्य से निम्न कालोनियों में मध्यप्रदेश नगर पालिका (कालोनी विकास) नियम 2021 के नियम 23 (2) के तहत प्रारंभिक सार्वजनिक सूचना निम्न वर्णित कालोनियों के सामने के कॉलम में दर्शाये गये समाचार पत्रों में दर्शित तिथि को प्रकाशित कराई गई थी। प्रकाशित सूचना में निर्दिष्ट अवधि में किसी भी आपत्ति/सुझाव इस कार्यालय में प्राप्त नहीं हुए है :-

क्रमांक	मौजा/ग्राम	खसरा नं.	विकास शुल्क की राशि	प्रारंभिक सार्वजनिक सूचना प्रकाशन दिनांक
1.	गोहलपुर	207, 208, 209, 210 रकबा 13435 वर्गमीटर	38/ रूपये प्रति वर्ग फुट प्लाट	पत्रिका, नई दुनिया, हिन्दी एक्सप्रेस दिनांक 22.04.2023
2.	गोहलपुर	182, 176/3, 182/2 कुल रकबा 10148 वर्गमीटर	38/- रूपये प्रति वर्गफुट प्लाट क्षेत्रफल पर	दैनिक भास्कर, पीपुल्स समाचार, अग्निबाण दिनांक 22.04.2023
3.	पुरवा	170, 171 रकबा 12901 वर्गमीटर	28/- रूपये प्रति वर्गफुट प्लाट क्षेत्रफल पर	नई दुनिया, नवभारत, हिन्दी एक्सप्रेस दिनांक 27.04.2023
4.	गोहलपुर	164/3 रकबा 35980 वर्गमीटर	38/- रूपये प्रति वर्गफुट प्लाट क्षेत्रफल पर	दैनिक भास्कर, जबलपुर एक्सप्रेस, अग्निबाण दिनांक 27.04.2023
5.	गोहलपुर	267 रकबा 11510.74 वर्गमीटर	42/- रूपये प्रति वर्गफुट प्लाट	दैनिक भास्कर, नवभारत, जयलोक दिनांक 28.04.2023
6.	गोहलपुर	164/4 रकबा 35940 वर्गमीटर	38/- रूपये प्रति वर्गफुट प्लाट क्षेत्रफल पर	दैनिक नई दुनिया, पीपुल्स समाचार प्रदेश टुडे दिनांक 28.04.2023

मध्यप्रदेश नगर पालिका (कालोनी विकास) नियम 2021 के नियम 23 (7) में वर्णित प्रावधानों के तहत उक्त कालोनी के भूखण्ड स्वामी भवन अनुज्ञा, जल संयोजन तथा विद्युत संयोजन के लिये पात्र होंगे।

अपर आयुक्त, नगर निगम, जबलपुर

15/05/2023